Reg. No. 28/65-66

ग्राम विकास अधिकारियों का एकमात्र संगठन
(विभागीय मान्यता प्राप्त)

राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ (पंजी) जयपुर

Website- www.gramsevak.org, E-Mail : gramsevak.org@gmail.com, Mob. 9829092714

क्रमांक :–29 दिनांक :–07.09.2019

<u>प्रांतीय प्रतिनिधि सभा बैठक एजेण्डा</u>

प्रांतीय पदाधिकारी/सदस्य प्रदेश प्रतिनिधि सभा (समस्त),

राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ (पंजी) जयपुर, राज.।

माननीय प्रदेशाध्यक्ष की आज्ञानुसार प्रांतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक का आयोजन दिनांक 12.09.2019, गुरूवार, को प्रातः 10.00 बजे, स्थान होटल स्वागतम्, रेल्वे स्टेशन के पास, जयपुर में रखा गया है, जिसमें आपकी (जिलाध्यक्ष, जिला मंत्री और प्रदेश प्रतिनिधि) उपस्थिति सादर अनिवार्य है।

बैठक का एजेण्डा निम्नानुसार है :–

1. गत बैठक की कार्यवाही पर विचार विमर्श।
2. संवर्ग सशक्तिकरण अभियान के अन्तर्गत जिला प्रतिनिधि सभा एवं उपशाखाओं की बैठकों का कार्यवाही विवरण एवं आवश्यक सूचना साथ लावे।
3. जिला शाखा एवं उपशाखा की बैठकों में प्रदेश स्तरीय मांग पत्र हेतु प्राप्त प्रस्तावों की समीक्षा उपरान्त जिला प्रतिनिधि सभा से प्रस्तावित/अनुमोदित 15 सूत्रीय मांग पत्र साथ लावे।
4. माननीय उच्च न्यायालय (जयपुर एवं जोधपुर) द्वारा कनिष्ठ सहायकों को ग्राम विकास अधिकारी पद का चार्ज नहीं देने के निर्णय के उपरान्त भी यदि किसी कनिष्ठ सहायक के पास अब भी ग्राम विकास अधिकारी पद का चार्ज है, तो उसकी सूचना साथ लावे। यदि ग्राम विकास अधिकारी के आदेश के बावजूद भी बैंक लेन देन कनिष्ठ सहायक के हस्ताक्षर से हो रहे है तो उसकी सूचना भी साथ लावे। (प्रपत्र 1 एवं 2)
5. नवनियुक्त ग्राम विकास अधिकारियों की सूची जिन्हे अभी तक ग्राम पंचायत का चार्ज नहीं दिया गया है की सूचना प्रपत्र 3 में साथ लावे।
6. प्रदेश कोषाध्यक्ष के निर्देशानुसार जिला शाखाओं का बकाया अंशदान साथ लावें।
7. जिलो में पदस्थापित साथियों की व्यक्तिगत एवं सामुहिक समस्याओं का विवरण लिखित में साथ लावे।
8. अन्य बिन्दु अध्यक्ष महोदय की अनुमति से।

(हेमन्त पालीवाल)
प्रदेश मंत्री
राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ जयपुर

(प्रहलाद जाट)
प्रदेश महामंत्री
राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ जयपुर

Scanned by CamScanner

प्रपत्र–01

–:: ग्राम विकास अधिकारी पद का चार्ज वाले कनिष्ठ सहायकों की सूचना::–

क्रम संख्या	जिला	पंचायत समिति	ग्राम पंचायत	नाम कनिष्ठ सहायक	नाम विकास अधिकारी

प्रपत्र–02

–:: ग्राम विकास अधिकारी पदस्थापन के बावजूद कनिष्ठ सहायकों द्वारा बैंक लेन–देन की सूचना::–

क्रम संख्या	जिला	पंचायत समिति	ग्राम पंचायत	नाम कनिष्ठ सहायक	पदस्थापित ग्राम विकास अधिकारी	नाम विकास अधिकारी

प्रपत्र–03

–:: नवनियुक्त ग्राम विकास अधिकारियों की सूची जिनके पास ग्राम पंचायत चार्ज नहीं हैं::–

क्रम संख्या	जिला	पंचायत समिति	ग्राम पंचायत	नाम नवनियुक्त ग्राम विकास अधिकारी	यदि चार्ज कनिष्ठ सहायक के पास है तों उसका नाम	नाम विकास अधिकारी